न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिगरिया बनाम बृजेश s/o पुरखा माली

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :- 32/2017

निर्णय दिनाँक :- 26/x/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बमनपुरा की आ॰ख॰न॰ 161 कुल रकबा 1.57 किस्म जमीन गै॰मु॰ में से 0.01 रकबे पर श्री बृजेश s/o पुरखा ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर चबूतरा बनाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिगरिया द्वारा दिनांक 29/9/2017 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ बर्डोदमान के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी बृजेश s/o पुरखा जाति पुजारी निवासी बमनपुरा को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश नहीं किया ~~जो शामिल पत्रावली है~~।

उक्त रकबा आ॰ख॰न॰ 161 रकबा 1-57 में से 0-01 रकबे किस्म 161 है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा नॉनसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.06 का 50 गुणा 3/- रूपये (Three Rs) पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिगरिया भू॰अ॰निरी॰ बर्डोदमान को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/10

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)